



दुमका समाहरणालय

जिला भू-अर्जन शाखा।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली-2015 के तहत प्राप्त एस0आई0ए0 प्रतिवेदन।

1. परियोजना का नाम :- ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन
2. एस.आई.ए. करने वाले संस्थान का नाम :- नवदृष्टि, राँची।
3. परियोजना समन्वयक :- सुश्री नीलम कुमारी, (एम.ए.आर.डी.), कार्यक्रम समन्वयक, नवदृष्टि, राँची।

प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण, अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार और एस0आई0ए0 द्वारा आच्छादित प्रभावित क्षेत्र :-

क्र0	ग्राम का नाम	थाना सं0	थाना	अंचल का नाम	अधियाचित रकवा (एकड़ में)
1	रामपुर	15	दुमका(मु0)	दुमका	24.62
Total:-					24.62


एस.आई.ए. प्रतिवेदन में सर्वेक्षणकर्ता तथा समन्वयक द्वारा उक्त प्रस्तावित परियोजना के लिए दिये गये उपसंहार निम्न प्रकार है।

1. प्रस्तावित परियोजना ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन से संबंधित है। प्रस्तावित परियोजना के पूर्ण होने से पुरे दुमका नगर पर्वद एवं आसपास के क्षेत्र में स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी तथा उसमे गुणात्मक सुधार होगा।
2. परियोजना क्षेत्र में निवास करने वाले लोगो के बीच परियोजना को लेकर भ्रम की स्थिति है। अधिकांश लोगो के द्वारा प्रस्तावित परियोजना को लाभकारी बताते हुए अर्जन की जा रही भूमि के लिए उचित मुआवजा राशि देने की मांग की गई है।
3. परियोजना क्षेत्र में यह पाया गया है कि प्रभावित परिवार जीवन-यापन हेतु अधियाचित भूमि पर निर्भर नहीं है। इसलिए प्रभावित परिवारों पर आजीविका संबंधी, किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
4. प्रस्तावित परियोजना का कार्यान्वयन/प्रबंधन उचित प्रकार से होना आवश्यक है। नहीं होने की स्थिति में ठोस अवशिष्टों के कारण स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य, सामाजिक तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है।
5. प्रस्तावित परियोजना से दुमका नगर पर्वद क्षेत्र में समस्त पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा साथ ही जीविका के लिए भूमि तथा सार्वजनिक सम्पत्ति, प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सामाजिक प्रभाव मुल्यांकन(एस.आई.ए.) अध्ययन प्रतिवेदन दुमका जिला के बेबसाईट-
www.dumka.nic.in, जिला भू-अर्जन कार्यालय, दुमका में देखा जा सकता है।


जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
दुमका


अपर समाहर्ता
दुमका


उपायुक्त
दुमका।

दुमका समाहरणालय

जिला भू-अर्जन शाखा।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली-2015 के तहत प्राप्त एस0आई0ए0 प्रतिवेदन।

1. परियोजना का नाम :- ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन
2. एस.आई.ए. करने वाले संस्थान का नाम :- नवदृष्टि, राँची।
3. परियोजना समन्वयक :- सुश्री नीलम कुमारी, (एम.ए.आर.डी.), कार्यक्रम समन्वयक, नवदृष्टि, राँची।


प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण, अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार और एस0आई0ए0 द्वारा आच्छादित प्रभावित क्षेत्र :-


क्र०	ग्राम का नाम	थाना सं०	थाना	अंचल का नाम	अधियाचित रकबा (एकड़ में)
1	शामपुर	15	दुमका(मु०)	दुमका	24.62
Total:-					24.62


एस.आई.ए. प्रतिवेदन में सर्वेक्षणकर्ता तथा समन्वयक द्वारा उक्त प्रस्तावित परियोजना के लिए दिये गये उपसंहार निम्न प्रकार है।

1. प्रस्तावित परियोजना ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन से संबंधित है। प्रस्तावित परियोजना के पूर्ण होने से पुरे दुमका नगर पर्वद एवं आसपास के क्षेत्र में स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी तथा उसमें गुणात्मक सुधार होगा।
2. परियोजना क्षेत्र में निवास करने वाले लोगो के बीच परियोजना को लेकर भ्रम की स्थिति है। अधिकांश लोगो के द्वारा प्रस्तावित परियोजना को लाभकारी बताते हुए अर्जन की जा रही भूमि के लिए उचित मुआवजा राशि देने की मांग की गई है।
3. परियोजना क्षेत्र में यह पाया गया है कि प्रभावित परिवार जीवन-यापन हेतु अधियाचित भूमि पर निर्भर नहीं है। इसलिए प्रभावित परिवारों पर आजीविका संबंधी किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
4. प्रस्तावित परियोजना का कार्यान्वयन/प्रबंधन उचित प्रकार से होना आवश्यक है। नहीं होने की स्थिति में ठोस अवशिष्टों के कारण स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य, सामाजिक तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है।
5. प्रस्तावित परियोजना से दुमका नगर पर्वद क्षेत्र में समस्त पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा साथ ही जीविका के लिए भूमि तथा सार्वजनिक सम्पत्ति, प्राकृतिक ससाधनों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सामाजिक प्रभाव मुल्यांकन(एस.आई.ए.) अध्ययन प्रतिवेदन दुमका जिला के बेबसाईट-
www.dumka.nic.in, जिला भू-अर्जन कार्यालय, दुमका में देखा जा सकता है।


जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
दुमका


अपर समाहर्ता
दुमका


उपायुक्त
दुमका।




दुमका समाहरणालय
जिला भू-अर्जन कार्यालय
लोक सुनवाई हेतु
-:आम सूचना:-

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि The Right to fair compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement act, 2013 की धारा-04 अन्तर्गत ठोस अवशिष्ट प्रबंधन हेतु अंचल-दुमका में अधिगृहित की जाने वाली भूमि जिसका के लिए सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन अध्ययन का कार्य किया जा रहा है। नवदृष्टि, अरगोड़ा, राँची के द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। प्रतिवेदन के संक्षिप्त विवरण को समुचित जगह पर प्रकाशित किया जा चुका है।

उपरोक्त अधिनियम के धारा-05 अन्तर्गत सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन के प्रतिवेदन हेतु लोक सुनवाई किया जाना है। निम्नलिखित स्थान/विवरण एवं समय के अनुसार लोक सुनवाई निर्धारित की जाती है:-

क्र०	अंचल	संबंधित ग्राम का नाम	लोक सुनवाई हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारी	लोक सुनवाई का स्थल	लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि	लोक सुनवाई हेतु निर्धारित समय
1	दुमका	रामपुर	अनुमण्डल पदाधिकारी -सह- जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका। अंचल अधिकारी, दुमका। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पर्षद, दुमका	प्लाट मूल्यांकन दुमका	13.05.17	पूर्वाह्न 11:00 बजे

प्रभावित संबंधित ग्राम के अन्तर्गत परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों से अनुरोध है कि उक्त लोक सुनवाई में उपस्थित होकर सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के संबंध में अपने विचार रखने का कष्ट करेंगे।


26/4/17
उपायुक्त
दुमका।




दुमका समाहरणालय
जिला भू-अर्जन कार्यालय
लोक सुनवाई हेतु
-:आम सूचना:-

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि The Right to fair compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement act, 2013 की धारा-04 अन्तर्गत सेप्टेज एवं ड्रेनेज परियोजना हेतु अंचल-दुमका में अधिगृहित की जाने वाली भूमि जिसका के लिए सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन अध्ययन का कार्य किया जा रहा है। नवदृष्टि, अरगोड़ा, राँची के द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। प्रतिवेदन के संक्षिप्त विवरण को समुचित जगह पर प्रकाशित किया जा चुका है।

उपरोक्त अधिनियम के धारा-05 अन्तर्गत सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन के प्रतिवेदन हेतु लोक सुनवाई किया जाना है। निम्नलिखित स्थान/विवरण एवं समय के अनुसार लोक सुनवाई निर्धारित की जाती है:-

क्र०	अंचल	संबंधित ग्राम का नाम	लोक सुनवाई हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारी	लोक सुनवाई का स्थल	लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि	लोक सुनवाई हेतु निर्धारित समय
1	दुमका	कुरुवा	अनुमण्डल पदाधिकारी -सह- जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका। अंचल अधिकारी, दुमका। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पर्षद, दुमका।	पुलव मुल्यांकन दुमका	13.05.17	पूर्वाह्न 11:00 बजे

प्रभावित संबंधित ग्राम के अन्तर्गत परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों से अनुरोध है कि उक्त लोक सुनवाई में उपस्थित होकर सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के संबंध में अपने विचार रखने का कष्ट करेंगे।


24/5/17
उपायुक्त,
दुमका।




दुमका समाहरणालय
जिला भू-अर्जन कार्यालय
लोक सुनवाई हेतु
—:आम सूचना:—

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि The Right to fair compenensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement act, 2013 की धारा-04 अन्तर्गत ग्रामीण पाईपलाईन जलापूर्ति परियोजना हेतु मौजा-कुकुरतोपा अंचल-मसलिया में अधिगृहित की जाने वाली भूमि जिसका के लिए सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन अध्ययन का कार्य किया जा रहा है। ए0एफ0सी0 इण्डिया लिमिटेड, मुम्बई के द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। प्रतिवेदन के संक्षिप्त विवरण को समुचित जगह पर प्रकाशित किया जा चुका है।

उपरोक्त अधिनियम के धारा-05 अन्तर्गत सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन के प्रतिवेदन हेतु लोक सुनवाई किया जाना है। निम्नलिखित स्थान/विवरण एवं समय के अनुसार लोक सुनवाई निर्धारित की जाती है:-

क्र0	अंचल	संबंधित ग्राम का नाम	लोक सुनवाई हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारी	लोक सुनवाई का स्थल	लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि	लोक सुनवाई हेतु निर्धारित समय
1	मसलिया	कुकुरतोपा थाना नं0-10	1. अनुमण्डल पदाधिकारी —सह— जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका। 2.अंचल अधिकारी, मसलिया। 3.कार्यपालक अभियन्ता, पेय जल एवं स्वच्छता प्रमण्डल-2, दुमका	पता मूल्यांकन मसलिया	16.05.2017	पूर्वाह्न 11:00 बजे

प्रभावित संबंधित ग्राम के अन्तर्गत परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों से अनुरोध है कि उक्त लोक सुनवाई में उपस्थित होकर सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के संबंध में अपने विचार रखने का कष्ट करेंगे।


24/4/17
उपायुक्त,
दुमका।



दुमका समाहरणालय
जिला भू-अर्जन कार्यालय
लोक सुनवाई हेतु
—:आम सूचना:—

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि The Right to fair compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement act, 2013 की धारा-04 अन्तर्गत पत्ताबाड़ी-मसानजोर पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण निर्माण परियोजना हेतु अंचल-रानेश्वर में अधिगृहित की जाने वाली भूमि जिसका के लिए सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन अध्ययन का कार्य किया जा रहा है। ए0एफ0सी0 इण्डिया लिमिटेड, मुम्बई के द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। प्रतिवेदन के संक्षिप्त विवरण को समुचित जगह पर प्रकाशित किया जा चुका है।

उपरोक्त अधिनियम के धारा-05 अन्तर्गत सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन के प्रतिवेदन हेतु लोक सुनवाई किया जाना है। निम्नलिखित स्थान/विवरण एवं समय के अनुसार लोक सुनवाई निर्धारित की जाती है:-

क्र0	अंचल	संबंधित ग्राम का नाम	लोक सुनवाई हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारी	लोक सुनवाई का स्थल	लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि	लोक सुनवाई हेतु निर्धारित समय
1	दुमका	बागनल, थाना नं0-08	1.अनुमण्डल पदाधिकारी -सह- जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका। 2.अंचल अधिकारी, दुमका। 3.कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, दुमका।	पता भुल्यालय दुमका	15.05.17	पूर्वाह्न 11:00 बजे

प्रभावित संबंधित ग्राम के अन्तर्गत परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों से अनुरोध है कि उक्त लोक सुनवाई में उपस्थित होकर सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के संबंध में अपने विचार रखने का कष्ट करेंगे।


24/4/17
उपायुक्त,
दुमका।




दुमका समाहरणालय
जिला भू-अर्जन कार्यालय
लोक सुनवाई हेतु
-:आम सूचना:-

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि The Right to fair compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement act, 2013 की धारा-04 अन्तर्गत रानीबहाल-महेशखाला पथ निर्माण परियोजना हेतु अंचल-रानेश्वर में अधिगृहित की जाने वाली भूमि जिसके लिए सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन अध्ययन का कार्य किया जा रहा है। ए0एफ0सी0 इण्डिया लिमिटेड, मुम्बई के द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। प्रतिवेदन के संक्षिप्त विवरण को समुचित जगह पर प्रकाशित किया जा चुका है।

उपरोक्त अधिनियम के धारा-05 अन्तर्गत सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन के प्रतिवेदन हेतु लोक सुनवाई किया जाना है। निम्नलिखित स्थान/विवरण एवं समय के अनुसार लोक सुनवाई निर्धारित की जाती है:-

क्र 0	अंचल	संबंधित ग्राम का नाम	लोक सुनवाई हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारी	लोक सुनवाई का स्थल	लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि	लोक सुनवाई हेतु निर्धारित समय
1	रानेश्वर	आमजोरा छीट, थाना नं0-12/43	1.अनुमण्डल पदाधिकारी -सह-	प्लाट मूल्यांकन दुमका	12.05.17	पूर्वाहन 11:00 बजे
2		रानीग्राम, थाना नं0-13	2.जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका।			
3		सुखजोड़ा, थाना नं0-13	3.अंचल अधिकारी, रानेश्वर। 4.कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, दुमका।			

प्रभावित संबंधित ग्राम के अन्तर्गत परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों से अनुरोध है कि उक्त लोक सुनवाई में उपस्थित होकर सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के संबंध में अपने विचार रखने का कष्ट करेंगे।


24/5/17
उपायुक्त,
दुमका।